न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R. 4216 /I/13

सजनसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम रायण तह0 व जिला धार ....अभिभाषक निगरानीकर्ता

बनाम

1– मृतक घीसीबाई बेवा रामसिह राजपूत
द्वारा वारिसान कांताबाई पति रूपसिंह राजपूत
निवासी ग्राम बिजाना तह0 व जिला धार

2– लीलाबाई पति भावसिंह
निवासी ग्राम कलमखेडी तह0 व जिला धार

3– अहिल्याबाई पति छोगालाल राजपूत
निवासी ग्राम मुण्डाना तह0 व जिला धार

4– भूलीबाई पति बाबूसिंह राजपूत
निवासी ग्राम जलवाय तह0 व जिला धार

5– रामकन्याबाई पति भेरूसिंह राजपूत
निवासी ग्राम पंचडेरिया तह0 व जिला धार

6– लालूबाई पति मेहरबानसिंह राजपूत
निवासी जनवईखेडी तह0 व जिला धार

7– उमरावबाई पति रामसिंह राजपूत
निवासी ग्राम रायण तह0 व जिला धार

.....................रेस्पाण्डेण्ट्स विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 भू0रा0सं0 1959 अनुसार

मान्यवर महोदय,

सेवा में अपीलाण्ट का अत्यंत नम्रता से निवेदन है कि ग्राम रायण तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 88/1, 138/2, 138/2/3 का संपूर्ण रकबा जरीये रजिस्टर्ड रामसिंह के जमाने में सजनसिंह को प्राप्त हुआ वह विधिक हक रखता है। यो भी प्रकरण हाजा में जो भूमि सर्वे नंबर 88/1, 138/2, 138/2/3 कुल नंबर 3 कुल रकबा 4.144 हैक्टर उक्त भूमि को रामसिंह ने अपने जीते जी भूमि सर्वे नंबर 88/2 का एक अंश 0.653 हैक्टर व सर्वे नंबर 138 रकबा 0.446 हैक्टर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक R 4210--दो / 2013 जिला धार

स्थान तथा दिनांक | | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

17--7--2014 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7--8--2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30--6--2011 के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 26--7--2013 को लगभग 21 माह से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा न्याय दृष्टांत 1989 राजस्व निर्णय 243 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकालने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है कि आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रति दिन के विलंब का कारण नहीं दर्शाया गया है जबकि आवेदक को प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण देना चाहिये था । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील अवधि बाह्य मान कर अग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष